अधिसूचना

नई दिल्ली,10 नवम्बर, 2015

का. आ. 3052(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 28.09.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 2349 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''जनसंख्या और सामाजिक विकास, 10, कबि जस्समुद्दीन पथ, सिटि सेंटर, दुर्गापुर- 713216, पश्चिम बंगाल'' द्वारा "अति ग्रामीण और निर्धन व्यक्तियों के जीविकोपार्जन के संवर्धन'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 को प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 11 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 483 (अ) के द्वारा अनुमानित लागत को 9.00 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 9.00 करोड़ रूपये की कार्पस निधि सहित 20.58 करोड़ रूपये कर दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा ''जनसंख्या और सामाजिक विकास, 10, कबि जस्समुद्दीन पथ, सिटि सेंटर, दुर्गापुर- 713216, पश्चिम बंगाल'' द्वारा चलाई जा रही "अति ग्रामीण और निर्धन व्यक्तियों के जीविकोपार्जन के संवर्धन'' की परियोजना अथवा स्कीम को 9.00 करोड़ रूपये की कार्पस निधि सहित 20.58 करोड़ रू. की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात, 2013-14, 2014-2015 और 2015-16 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 समाप्त हो चुके हैं अत: आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 क ग के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

[सं. 242 /2015 / फा. सं. वी -27015/3/2015 एस ओ(एन. सी)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)